संख्याः– 528 /XXVIII(1)/2015

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 27 : अप्रैल,2015

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रथम किस्त की धनराशि का जनगणना 2011 व उसके साथ पंचायतों से प्राप्त क्षेत्रफल के आधार पर संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रथम किस्त की धनराशि ₹190497000.00 (₹उन्नीस करोड़ चार लाख सत्तानवे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों व पेंशन पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) को मानदेय का भुगतान शासनादेश सं0 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर,2011 में उल्लेखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

- वर्तमान किस्त भी विगत वर्षों हेतु निर्धारित धनराशि के आधार पर ही अवमुक्त की जा रही है। तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के पैरा 8.28 के अनुपालन में विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली पंचायतें अगली किस्त अवमुक्त होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में विभव व सम्पत्ति कर से अर्जित आय का विवरण बकोस्तसी में तुलनात्मक धनराशि व उसका वृद्धि प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तब ही अगली किस्त कर राजस्व में वृद्धि के अनुसार अवमुक्त की जा सकेगी।
-)–यह धनराशि निदेशक पंचायतीराज के पत्र संख्या 687/3–पं/ग्रा.पं/2014–15 दिनांक 01–08–2014 एवं संख्या 752/3–पं/ग्रा.पं/2014–15 दिनांक 21–08–2014 द्वारा प्राप्त जनगणना 2011 की जनसंख्या व उसके साथ पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रफल के अनुसार तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। जनसंख्या व क्षेत्रफल के बढ़ने अथवा घटने के कारण पूर्व में अवमुक्त धनराशि व वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि में अन्तर आना स्वाभाविक है इसलिए अवमुक्त की जा रही धनराशि का आंकलन पूर्व में अवमुक्त धनराशि से नही किया जायेगा।

कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु वित्त सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।